

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 इस अध्याय में 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षित निगम कर से संबंधित निर्धारणों की लेखापरीक्षा के परिणाम पर चर्चा की गई है। नि.व. 2016-17 के दौरान निगम निर्धारितियों के द्वारा कुल 7,13,139 विवरणियां⁵⁵ दाखिल की गई थी। आयकर विभाग ने नि.व 2016-17 में एवं उन इकाईयों में पूर्व वर्षों में कुल 1,18,101 निगम कर संवीक्षा निर्धारणों को पूर्ण किया गया था जो 2017-18 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान लेखापरिक्षित थे। 1,18,101 निगम कर संवीक्षा निर्धारणों में से, हमारे द्वारा 97,434 निगम कर संवीक्षा मामलों की जांच की गई और 7,947 निर्धारणों में गलतियां पाई गईं। 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच की गई निगम कर संवीक्षा निर्धारणों में शामिल त्रुटियां 8.15 प्रतिशत थी। चूंकि हमने अपने नमूने के अनुसार केवल सीमित संख्या में निर्धारण मामले/अभिलेख देखे हैं; मंत्रालय को न केवल नमूना मामलों परन्तु संपूर्णतया में सतयापित करने की आवश्यकता है।

3.1.2 अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 के दौरान निगम कर के कुल 340 उच्च मूल्य के मामले मंत्रालय को प्रेषित किये गए थे। जिनमें से 315 मामलों में ₹ 4,630.83 करोड़ का कम प्रभार तथा 25 मामलों में ₹ 235.83 करोड़ का अधिक प्रभार⁵⁶ शामिल है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा की गई निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर संकेत करते हैं।

3.1.3 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

⁵⁵ स्रोत: प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रशासनिक और कर दाता सेवा), अनुसंधान और सांख्यिकी अनुभाग।

⁵⁶ सही आंकड़ों को अपनाने में गलतियां, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां, कर/ब्याज की दरों का गलत अनुप्रयोग आदि में त्रुटियों के कारण अधिभार

आयकर अधिनियम, 1961 की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के तहत ब्याज की संगणना के संबंध में निर्धारण सूचना प्रणाली⁵⁷ (एएसटी) मॉड्यूल/आयकर कारोबार अनुप्रयोगो⁵⁸ (आईटीबीए) में कमियां देखी गई, जिनको इस अध्याय के पैरा 3.2.4 और 3.5.1 में सामने लाया गया है। तालिका 2.10 (पैरा 2.4.4) निर्धारणों में गलतियों की व्यापक श्रेणियों तथा उनके कर प्रभाव के ब्योरे दर्शाती है।

3.1.4 मंत्रालय ने ₹ 2,279.60 करोड़ कर प्रभाव को शामिल करते हुए 185 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अपनी स्वीकृति दी है जबकि ₹ 33.31 करोड़ के कर प्रभाव सहित 13 मामलों को स्वीकार नहीं किया है। शेष 142 मामलों में विभाग ने ₹ 526.87 करोड़ के कर प्रभाव सहित 37 मामलों स्वीकार किए जबकि ₹ 591.59 करोड़ (पैरा 2.4.4 में सन्दर्भित) के कर प्रभाव सहित 8 मामलों को स्वीकार नहीं किया गया। 340 मामलों में से, आयकर विभाग द्वारा ₹ 3,134.02 करोड़ के कर प्रभाव सहित 257 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की गई और ₹ 85.90 करोड़ के कर प्रभाव सहित मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों (नि.अ.) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। आय एवं कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियां, कर एवं अधिभार के गलत दरो का अनुप्रयोग, ब्याज के उदग्रहण में गलतियां, प्रतिदाय की अधिकता एवं अनियमितता आदि को शामिल करते हुए गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.1 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है (संदर्भ परिशिष्ट 2.4) जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

⁵⁷ एएसटी मॉड्यूल एक ऑनलाइन, मेन्यू संचालित सॉफ्टवेयर है जो सभी मूल्यांकन और संबंधित कार्यों को पूरा करने में सक्षम है।

⁵⁸ आईटीबीए आयकर विभाग की सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए विकसित एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।

तालिका 3.1: मूल्यांकन की गुणवत्ता के तहत गलतियों की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियां	मामलें	कर प्रभाव	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	46	539.34	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
ख. कर और अधिभार की गलत दर का अनुप्रयोग	10	307.50	दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, यूटी चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल।
ग. ब्याज उदग्रहण में गलतियां	53	189.37	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल।
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज	4	30.98	महाराष्ट्र.
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावी करते हुए निर्धारण में गलतियां	5	54.59	कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
कुल	118	1,121.78	

3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे छः निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 143(3) में यह प्रावधान किया गया है कि निर्धारण अधिकारी, इस प्रकार के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती इस प्रकार के अन्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जैसा निर्धारण अधिकारी को विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर आवश्यकता हो सकती है और सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद जो उनके द्वारा संग्रहित की गई हैं। इस प्रकार के निर्धारण के आधार पर लिखित रूप में आदेश देकर, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेंगे और उसके द्वारा देय किसी भी राशि का निर्धारण करेंगे या उस पर देय किसी भी राशि के प्रतिदाय का निर्धारण करेंगे।

3.2.2.1 प्र. सीआईटी मेरठ प्रभार, उत्तर प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी (एओ) ने ₹ 1,127.10 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष (नि.व) 2013-14 के लिए एक कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया था। निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान निर्धारिती ने ₹ 1,384.82 करोड़ की हानि पर अपनी आय की संगणना को संशोधित किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कर योग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने ₹ 1,384.82 करोड़ की संशोधित हानि के बजाय ₹ 2,169.02 करोड़ की हानि के आंकड़े गलती से लिये थे। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 254.43 करोड़

के संभावित कर सहित ₹ 784.20 करोड़ की अधिक हानि को दर्शाया। विभाग (आयकर विभाग) ने अधिनियम की धारा 154 के तहत गलतियों का परिशोधन (सितंबर 2017) किया।

3.2.2.2 प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, एओ ने दिसंबर 2016 में नि.व 2014-15 के लिए ₹ 63.70 करोड़ के संवर्धन करने के बाद ₹ 86.98 करोड़ पर हानि को निर्धारित करते हुए कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कुल आय की संगणना करते समय, एओ ने गलती से ₹ 32.09 करोड़ की कुल सकल आय के बजाय ₹ 150.68 करोड़ की हानि को मान लिया था जैसा कि निर्धारित ने अपने मूल और संशोधित विवरणियों में दिखाया था। इस प्रकार, निर्धारित आय को ₹ 95.79 करोड़ की आय के बजाय ₹ 86.98 की हानि पर गलती से निर्धारित की गई थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 64.35 करोड़⁵⁹ के कर प्रभाव सहित ₹ 182.77 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने बताया (फरवरी 2018) कि लेखापरीक्षा में दिखाई गई गलती का परिशोधन करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई। इसके बाद का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2019)।

3.2.2.3 प्र. सीआईटी-5, दिल्ली प्रभार में, एओ ने नि.व 2012-13 हेतु ₹ 86.10 करोड़ की हानि पर अधिनियम की धारा 144⁶⁰ के तहत मार्च 2015 में कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारण आदेश में चर्चा के अनुसार, निर्धारिती द्वारा दावा किए गए चालू वर्ष की हानि पर आने वाले व्यय की पुष्टि नहीं की गई थी। व्यय के ब्यौरे न होने के कारण, एओ ने यह बताते हुए कि निर्धारिती के द्वारा दावा किए गए व्यय को कोई महत्व नहीं दिया, निर्धारिती के द्वारा दाखिल की गई आयकर विवरणी (आईटीआर) के अनुसार 10 प्रतिशत सकल विक्रयों के रूप में ₹ 16.38 करोड़ पर कर योग्य आय का निर्धारण किया। हालांकि, निर्धारित आय की संगणना करते समय, ₹ 16.38 करोड़ के कर योग्य लाभ को ₹ 102.48 करोड़ की वापस की गई हानि के साथ समायोजित किया गया था जो ₹ 86.10 करोड़ की हानि पर पहुंच गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.38 करोड़ के से आय का कम निर्धारण हुआ और साथ ही ₹ 27.93 करोड़ के संभावित कर प्रभाव और ₹ 7.22 करोड़ के सकारात्मक कर प्रभाव सहित (ब्याज को शामिल करते हुए) ₹ 86.10 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण

⁵⁹ ₹ 1,029.49 लाख (सकारात्मक कर प्रभाव) + ₹ 5,405.13 लाख (संभावित कर प्रभाव)

⁶⁰ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144, उन मामलों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण से संबंधित है, जहां करदाता द्वारा आय की विवरणी दाखिल नहीं की गई है या यदि करदाता द्वारा उसके निर्धारण से संबंधित जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के मामले में करदाता द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाता है या यदि करदाता के खाता पुस्तकें विश्वसनीय नहीं हैं या अपूर्ण हैं।

हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटियों का परिशोधन किया (दिसंबर 2017)।

आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 115 बीबीई (1), प्रावधान करती है कि जहां एक निर्धारिती की कुल आय में अधिनियम की धारा 68 अथवा 69 में निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल होती है, धारा 68 या 69 में निर्दिष्ट आय पर संगणित आयकर की राशि का कुल योग तीस *प्रतिशत* की दर से आयकर देय होगा और शेष आय पर प्रभार्य आयकर का राशि सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारित की जायेगी। इसके बाद उप-धारा(2) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 68 अथवा 69 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के तहत किसी व्यय अथवा भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2.2.4 प्र. सीआईटी-2 कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, एओ ने मार्च 2016 में नि.व 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 144 के तहत चालू वर्ष से ₹ 33.68 करोड़ की हानि पर और पिछले वर्ष से ₹ 18.08 करोड़ की हानि के समंजन की अनुमति देने के बाद 'शून्य' आय पर कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, एओ ने अधिनियम की धारा 68⁶¹ के प्रावधान के तहत अघोषित नकद क्रेडिट के रूप में ₹ 49.44 करोड़ का संवर्धन किया। हालांकि, ₹ 49.44 की राशि का कर अलग से नहीं लगाया गया और चालू वर्ष के व्यापार घाटे के साथ उसके समंजन की अनुमति दी गई और व्यापार हानि को अघोषित किया गया, जो नियमानुसार नहीं था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 16.04 करोड़ के कर प्रभाव सहित, धारा 234बी के तहत ब्याज को छोड़कर ₹ 49.44 करोड़ से आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 154 के तहत (जनवरी 2018) त्रुटियों का परिशोधन किया।

3.2.2.5 प्र. सीआईटी-5 हैदराबाद प्रभार, आन्ध्रप्रदेश में, एओ ने नि.व 2014-15 के लिए अधिनियम की धारा 144 के तहत ₹ 3.21 करोड़ की अनुमानित आय के बजाय ₹1.60 करोड़ के अघोषित हानि को समंजन करते हुए ₹ 1.60 करोड़ की आय का निर्धारण दिसंबर 2016 में किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एओ ने सकल प्राप्तियों के 5 *प्रतिशत* पर निर्धारिती की आय का आकलन किया था। कारोबार की बिक्री/सकल प्राप्तियों को आयकर विवरणी में ₹ 551.42 करोड़ दर्शाया गया था। जिसका 5 *प्रतिशत* 3.21 करोड़ जैसा कि निर्धारण आदेश में लिया गया है के बजाय ₹ 27.57 करोड़ बनता है। विक्रय

⁶¹ अधिनियम की धारा, 1961 प्रावधान करती है कि जहां किसी भी पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा अनुरक्षित खातों में जमा की गई किसी राशि के अनुसार, और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, अतः वह जमा राशि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित की जा सकती है।

प्राप्तियों के अतिरिक्त, निर्धारिती ने ₹ 2.08 करोड़ की 'अन्य आय' भी अर्जित की थी। परिणाम स्वरूप ₹ 29.65 करोड़ की कुल आय की गणना की गई। निर्धारण आदेश में निर्धारण हुए ₹ 1.61 करोड़ के बजाय ₹ 1.60 करोड़ की अग्रेषित हानि के समंजन के बाद ₹ 28.05 की कर योग्य आय की गणना की गई। परिणामस्वरूप ब्याज को शामिल करते हुए ₹ 12.16 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 26.44 करोड़⁶² की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसंबर 2018) और अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन (अगस्त 2018) किया।

3.2.2.6 प्र. सीआईटी-3 कोलकता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, एओ ने ₹ 2.26 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 144 के तहत दिसंबर 2016 में नि.व 2014-15 के लिए निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, एओ ने ₹ 2.25 करोड़ का संवर्धन किया यह बताते हुए कि असूचीबद्ध इक्विटी में निर्धारिती द्वारा किया गया सम्पूर्ण निवेश के विषय में निर्धारिती ने स्पष्ट नहीं किया गया था। हालांकि, तुलन-पत्र के अनुसार असूचीबद्ध इक्विटी में निर्धारिती द्वारा किए गए निवेश की सही राशि ₹ 2.25 करोड़ के बजाय ₹ 22.49 करोड़ थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.56 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 20.24 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की थी। (जून 2018)

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों को लागू करना

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले दर्शाए हैं

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीबीडी के अनुसार, जहां भारतीय कंपनी की कुल आय में किसी निर्दिष्ट विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा भुगतान किए गए लाभांश के माध्यम से कोई आय शामिल है, भुगतान योग्य आयकर एकत्र किया जाना चाहिए (क) पंद्रह प्रतिशत की दर से ऐसे लाभांशों के माध्यम से आय पर गणना की गई आयकर की राशि पर और (ख) जिस आयकर की राशि निर्धारिती प्रभार्य हो जाता है उसकी कुल आय लाभांशों के माध्यम से पूर्वोक्त आय से कम हो गई है। धारा 115 बीबीडी की उप-धारा 3 (ii) 'विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी' एक विदेशी कंपनी के रूप में परिभाषित की गई है जिसमें कंपनी में भारतीय कंपनी 26 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का इक्विटी शेयर पूंजी के नाम मात्र मूल्य का अधिकार रखती है।

⁶² ₹ 28.05 करोड़ - ₹ 1.61 करोड़

3.2.3.1 प्र. सीआईटी- एलटीयू मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने अधिनियम की धारा 144सी (1)⁶³ के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व 2013-14 के लिए, अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 3,696.63 करोड़ की हानि और ₹ 390.03 करोड़ के अंकित लाभ पर कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया, जो कि धारा 115 जेबी के तहत कर के लिए प्रभारित था। आय की संगणना की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती कंपनी ने ₹ 1,422.11 करोड़ की राशि विदेशी कंपनियों से लाभांश के रूप में 'अन्य स्रोतों से आय' के शीर्ष के तहत दर्शाया था। प्राप्त लाभांश पर निर्धारिती द्वारा दिया गया विस्तृत विवरण दर्शाता है कि इसमें 'X' कंपनी से ₹ 1,421.98 करोड़ का लाभांश शामिल किया गया। वार्षिक खाते के अनुसार, 'X' कंपनी निर्धारिती की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी और धारा 115 बीबीडी के तहत परिभाषित एक विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी थी। तदनुसार, उपरोक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 1,421.98 करोड़ की लाभांश राशि पर 15 प्रतिशत की दर से पृथक रूप से कर लगाना आवश्यक था जिसे नहीं लगाया गया था। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 22.61 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 278.54 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ, इसके अलावा धारा 244ए के तहत ₹ 25.25 करोड़ के अधिक ब्याज और ₹ 71.72 करोड़ के मैट क्रेडिट दोनों को वापस लेने की आवश्यकता थी। आयकर विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य थी। इसके आगे की कार्रवाई प्रतिक्रित थी (मार्च 2019)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 4(1) प्रावधान करती है कि एक निर्धारिती की पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रासंगिक वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित की गई दरों के अनुसार प्रत्येक निर्धारण वर्ष हेतु आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए प्रासंगिक वित्त अधिनियम में विदेशी कंपनियों के मामले में आयकर पर दो प्रतिशत की दर से अधिभार के उदग्रहण का प्रावधान है, यदि शुद्ध आय ₹ एक करोड़ से अधिक है।

3.2.3.2 सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कर)-2 प्रभार, दिल्ली में, नि.व 2013-14 के लिए कंपनी का निर्धारण जनवरी 2017 में संवीक्षा के बाद ₹ 3,859.92 करोड़ की आय और उस पर ₹ 397.57 करोड़ का कर निर्धारित करते हुए पूर्ण किया गया था। निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 3,859.92 करोड़ की रॉयल्टी आय पर लागू अधिभार और उपकर के साथ 10 प्रतिशत की दर पर कर का उदग्रहण किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, कर मांग की संगणना करते समय, दो प्रतिशत की दर से अधिभार वसूल करने योग्य था

⁶³ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144सी, विवाद समाधान पैनल के संदर्भ के लिए प्रकिया प्रदान करती है। अधिनियम के धारा 144सी(1) के अनुसार, निर्धारण कार्यालय, पात्र निर्धारिती के निर्धारण के प्रस्तावित आदेश के मसौदे को अग्रहित करेगा यदि वह अक्टूबर 2009 के पहले दिन या उसके बाद आय या हानि में कोई बदलाव करना चाहता है जो ऐसे निर्धारिती के हित के लिए प्रतिकूल है।

जिसकी वसूली नहीं की गई। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.61 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया (मार्च 2018)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44डीए, व्यवसाय या कारोबार के लाभ और मुनाफे के रूप में तकनीकी सेवाओं हेतु रॉयल्टी या शुल्क के माध्यम से आय के कराधान हेतु प्रावधान है जब भारत में अनिवासी की स्थायी स्थापना में ऐसी आय सम्बद्ध होती है, निर्धारण वर्ष 2012-13 के निर्धारण के लिए प्रासंगिक वित्त अधिनियम, विदेशी कंपनियों के मामले में व्यापार अथवा कारोबार के लाभ और मुनाफे पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान करता है।

3.2.3.3 सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कर)-1 प्रभार, दिल्ली में, नि.व. 2012-13 हेतु ₹ 35.52 करोड़ की आय और उस पर ₹ 8.76 करोड़ के कर पर, कंपनी का निर्धारण दिसंबर 2015 में पूरा किया गया। निर्धारण आदेश के अनुसार धारा 44डीए के प्रावधानों के अनुपालन में लाभ और मुनाफे के रूप में ₹ 35.52 करोड़ की कुल आय मानी गयी और उसी अनुसार 40 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, कर मांग की संगणना करते समय, एओ ने ₹ 14.21 करोड़ की उदग्रह्य राशि के बजाय केवल ₹ 8.10 करोड़ का कर लगाया गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 6.17 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन (फरवरी 2018) किया।

निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित वित्त अधिनियम, कंपनियों के मामलों में आयकर को 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार के उदग्रहण का प्रावधान करता है यदि शुद्ध आय ₹ एक करोड़ से अधिक है।

3.2.3.4 प्र. सीआईटी-2 चण्डीगढ़ प्रभार में, नि.व 2011-12 के लिए कंपनी का निर्धारण अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147⁶⁴ के तहत मार्च 2016 में ₹ 49.93 करोड़ की आय पर पूर्ण किया गया। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि एएसटी प्रणाली के माध्यम से कर मांग की संगणना और इसको सृजित किया गया, अधिनियम की धारा 234ए(3) के तहत ब्याज एक माह की देरी के लिए वसूली योग्य था और 7.5 प्रतिशत की दर पर अधिभार उदग्रह्य था, जिसे नहीं लगाया गया था।

⁶⁴ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अनुसार, यदि एओ के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर के लिए प्रभार्य कोई आय किसी भी निर्धारण वर्ष में निर्धारण से बच गई है तो वह धारा 148 अथवा 153 के प्रावधानों के तहत ऐसी आय का निर्धारण एवं पुनः निर्धारण कर सकता है और इसके अतिरिक्त कर के लिए प्रभार्य किसी भी आय को जो निर्धारण से बच गई है और इस धारा के तहत कार्यवाही के दौरान उसकी सूचना में बाद में आते हैं, या हानि की पुनः गणना या मूल्यहास भत्ता या अन्य भत्ता जैसा भी मामला संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए हो सकता है।

तदनुसार प्रणाली अधिभार और ब्याज की राशि सहित कर मांग की संगणना में सक्षम नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रणाली के माध्यम से संगणना में हुई त्रुटि में सुधार भी एओ द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज को शामिल करते हुए ₹ 2.02 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने बताया (सितंबर 2018) कि अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन (अगस्त 2018) किया गया।

3.2.4 ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां

हमने इस प्रकार के चार निदर्शी मामले दर्शाए हैं:-

आयकर अधिनियम, 1961 में भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूकों के कारण ब्याज के उदग्रहण के लिए प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234ए में एक विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि हेतु आय को विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के संबंध में ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 234बी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि हेतु अग्रिम कर के भुगतान में चूक के संबंध में ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 234सी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के संबंध में ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सभी आयकर विवरणियां संक्षिप्त रूप से केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र⁶⁵ (सीपीसी), बेंगलुरु में धारा 143(1) के तहत संसाधित किये जाते हैं, इस प्रकार, सार निर्धारणों से संबंधित सभी डेटा निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) में प्रत्यक्ष रूप से लिए गए हैं। सीपीसी से हस्तांतरित सभी विवरणियों के लिए एएसटी मॉड्यूल, आयकर विभाग के भाग के मॉड्यूल, संवीक्षा मामलों के संबंध में प्रसंस्करण, परिशोधन, निर्धारण आदेश को पूरा करने का कार्य एओ के द्वारा किया जाता है। एएसटी विभिन्न निर्धारण के कार्य करता है जैसे कि कर की संगणना, आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत ब्याज की संगणना, समय बाधित चैक, कटौतियों की सीमा का वैधीकरण, देय तिथि की जांच, आदि। टीडीएस/टीसीएस और अग्रिम कर, आदि के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान क्रमशः 26एएस अनुप्रयोग और ओएलटीएस⁶⁶ अनुप्रयोग से स्वतः भर जाते हैं। संवीक्षा निर्धारण, परिशोधन, क्षेत्रीय कार्यालयों में अपील प्रभाव आदेशों के मामले में एओ के द्वारा आदेशों के आधार पर प्रणाली में डेटा-फीड किए जाते हैं। स्वर्धनों के तहत आय के विभिन्न शीर्षों में दर्ज किए गए नए आकड़ों के साथ अंतिम मांग हेतु संगणना पत्रक सृजित होता है। यदि एओ द्वारा उपरोक्त शीर्षों के मूल्य में कोई वृद्धि की जानी है, तो प्रणाली के माध्यम से अगामी उच्च प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होती है, हालांकि, एएसटी में उपरोक्त शीर्षों के तहत मूल्य को कम करने के लिए एओ को कोई अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। एएसटी मॉड्यूल एओ को 'संशोधित' शीर्ष के तहत धारा 234ए/बी/सी/डी और 244ए के तहत ब्याज के मूल्य में संशोधन

⁶⁵ बेंगलुरु में आयकर विवरणियों के लिए केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी आईटीआर) करदाता द्वारा देय कर और अंतिम प्रतिदाय की संगणना करने के लिए आयकर अधिनियम के अनुसार नियमों का उपयोग करके विवरणी के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक और अंतिम समाधान प्रदान करता है।

⁶⁶ ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएस) बैंकों के माध्यम से करदाताओं द्वारा किए गए कर भुगतानों की वास्तविक समय के सट्टे रिपोर्टिंग, निगरानी और पुनः मिलान को आसान कर देता है।

की अनुमति देता है। इन मूल्यों को किसी भी उच्च प्राधिकारी की अनुमति के बिना परिवर्तित किया (वृद्धि या कमी) जा सकता है। धारा 144 के तहत यथेष्ट निर्णय के तहत निर्धारण, यदि निर्धारित नॉन-फाइलर है तो विभिन्न शीर्षों के तहत डेटा मैनुअल रूप से फीड किया जाता है और तदनुसार संगणना की जाती है। यदि निर्धारिती धारा 148 के तहत नोटिस देने के बाद आयकर विवरणी देरी से फाइल करता है, तब संबंधित निर्धारण वर्ष हेतु मूल देय तिथि के आधार पर धारा 234एबीसी के तहत ब्याज की संगणना की जायेगी।

3.2.4.1 सीआईटी- केंद्रीय सर्कल, अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, दिसंबर 2016 में ₹ 50.42 करोड़ की आय को निर्धारित करते हुए अधिनियम की धारा 153ए(1)बी⁶⁷ के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व 2012-13 हेतु कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया था। आईटीएनएस 150 की लेखापरीक्षा से पता चला कि धारा 234बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज की मैनुअल रूप से गणना की गई थी और एएसटी के माध्यम से इसकी गणना नहीं की गई थी, और ₹ 9.12 करोड़ के बजाय ₹ 2.28 करोड़ के रूप में अशुद्ध रूप से प्रभारित किया गया था। लेखापरीक्षा में आय और ब्याज पर कर की संगणना एएसटी के माध्यम के बजाय मैनुअल रूप से करने के कारणों का पता नहीं लग सका परिणामस्वरूप ब्याज की राशि का कम उदग्रहण हुआ। आईटीएनएस-150 में दर्शाए गए ब्याज की शुद्धता को सत्यापित करने में एओ द्वारा हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.84 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत अगस्त 2017 में ब्याज की संगणना में चूक का परिशोधन किया।

3.2.4.2 प्र.सीआईटी-2 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में दिसंबर 2016 में नि.व 2009-10 हेतु अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 15.18 करोड़ की आय को निर्धारित करते हुए कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया था। निर्धारिती कंपनी द्वारा जैसा धारा 139(1)⁶⁸ में निर्धारित है अर्थात् 30.9.2009 तक नि.व 2009-10 हेतु अपनी आय की मूल विवरणी दाखिल नहीं की। मामले को पुनः खोला गया और मार्च 2016 में धारा 148 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के जवाब में अप्रैल 2016 में निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी दाखिल की गई। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारित आय पर ₹ 5.16 करोड़ के कर की गणना

⁶⁷ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153ए(1)(बी), में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के मामले में जहां धारा 132 के तहत या बहि खातों या, अन्य दस्तावेजों या किसी परिसंपत्तियों की कोई जांच प्रारंभ की जाती है तो 31 मई 2003 के दिन के बाद धारा 132ए के तहत उनकी मांग अपेक्षित हैं, एओ ऐसे छः निर्धारण वर्षों के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक नि.व. के संबंध में कुल आय का निर्धारण अथवा पुनः निर्धारण करेगा।

⁶⁸ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो एक कंपनी या एक व्यक्ति होने के नाते एक कंपनी के अलावा है जिसे पिछले वर्ष के दौरान या नियत तारीख से पहले अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारित फॉर्म में और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया गया।

मैनयुअल रूप से की गई और एएसटी के माध्यम से नहीं की गई। हालांकि, आय की मूल विवरणी को दाखिल नहीं करने के कारण धारा 234ए के तहत ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। चूंकि विवरणी दाखिल नहीं की गई थी इसलिए ब्याज 79 महीनों हेतु अर्थात् आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि (1 अक्टूबर 2009) के अगले दिन से विवरणी दाखिल करने की तिथि (28 अप्रैल 2016) तक लगाया जाना आवश्यक था। एएसटी के माध्यम के बजाय मैनयुअल रूप से आय पर कर की संगणना करने के कारणों का लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका, परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.07 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2019)।

3.2.4.3 प्र. सीआईटी-2 प्रभार, दिल्ली में, नि.व 2013-14 हेतु कंपनी की आय का निर्धारण दिसंबर 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूर्ण किया गया और ₹ 9,441.09 करोड़ की आय और उस पर ₹ 3,058.76 करोड़ के कर का निर्धारण किया गया। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि धारा 234सी के तहत अग्रिम कर के आस्थगत हेतु एएसटी प्रणाली के द्वारा ₹ 3.61 करोड़ के ब्याज की संगणना नहीं की गई जो इस तथ्य का संकेत है कि, अग्रिम कर के भुगतान के आस्थगत के लिए ब्याज की संगणना में प्रणाली सक्षम नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234सी के तहत ₹ 3.61 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत ब्याज की संगणना में त्रुटि का परिशोधन करते समय (फरवरी 2018) बताया कि एएसटी में तकनीकी समस्याओं के कारण, धारा 234सी के तहत प्रणाली द्वारा ब्याज को प्रभारित नहीं किया गया था। आयकर विभाग ने आगे बताया (जुलाई 2018) कि ब्याज की संगणना नहीं किए जाने का मामले में विभाग के प्रणाली प्रभाग से संबंधित है। लेखापरीक्षा का विचार है कि निर्धारिती के देय ब्याज अथवा प्रतिदाय सहित कर मांग का सही निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.2.4.4. प्र. सीआईटी-2 चण्डीगढ़ प्रभार, नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 100.29 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया गया। 25 मार्च 2015 को धारा 148 के तहत 30 दिनों के अंदर आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारिती को एक नोटिस जारी किया गया था। निर्धारिती ने जवाब में बताया (जनवरी, 2016) कि मूल विवरणी 30 सितंबर 2008 को दाखिल की गई थी जिसको धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस हेतु विवरणी के रूप में माना जाय। चूंकि आय विवरणी को 21 जनवरी 2016 तक

दाखिल किया जाना निर्धारित था, धारा 234ए(3) के तहत ब्याज के उदग्रहण के लिए विलंब की अवधि 9 महीने होगी। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एएसटी के माध्यम से कर मांग की संगणना की गई थी और 9 महीनों के लिए ₹ 2.98 करोड़ की उदग्रह्य राशि के तुलना में हेतु धारा 234ए (3)⁶⁹ के तहत विवरणी को प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज का शून्य उदग्रहण हुआ। चूंकि एओ के द्वारा देरी की अवधि पर विचार करने में चूक हुई और इस तथ्य को आगे इंगित करता है कि धारा 234ए(3) के तहत ब्याज की विलंब की अवधि की गणना करने में यह प्रणाली अपूर्ण थी। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए(3) के तहत ₹ 2.98 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन (जुलाई 2018) किया।

3.2.4.5 प्र. सीआईटी-1, कोलकता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, नि.व 2014-15 के लिए कंपनी का निर्धारण ₹ 234.46 करोड़ की आय पर दिसंबर 2016 में संवीक्षा निर्धारण के बाद पूर्ण किया गया। तत्पश्चात, धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण में किए गए ₹ 83.03 लाख के दोहरे संवर्धन को ध्यान में रखते हुए ₹ 233.63 करोड़ की आय पर फरवरी 2017 में धारा 154 के तहत निर्धारण को संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ 0.63 लाख की टीडीएस राशि की कटौती करने के बाद आय विवरणी के अनुसार निर्धारिती की सकल कर देयता ₹ 79.91 करोड़ थी। निर्धारिती ने अधिनियम के द्वारा आवश्यक निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया और इसलिए वह धारा 234सी के तहत ₹ 4.01 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, यह देखा गया कि धारा 154 के तहत आदेश पारित करते समय (फरवरी 2017), प्रणाली द्वारा गलती से ₹ 4.01 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 1.07 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया गया। यह दर्शाता है कि धारा 234सी के तहत ब्याज की संगणना करने में प्रणाली अपूर्ण थी। आईटीएनएस-150 में दर्शाए गए ब्याज की परिशुद्धता को सत्यापित करने में एओ द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.94 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया था (जनवरी 2019)। अधिनियम की धारा 154 के तहत ब्याज की संगणना में हुई त्रुटि का परिशोधन किया। (दिसंबर 2017)

⁶⁹ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234ए(3), उन मामलों में विवरणी के प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज की उगाही प्रदान करता है, जहां निर्दिष्ट दरों, पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए धारा 147 या धारा 153ए के तहत आय निर्धारित की जाती है।

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने एक ऐसा निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है:

आयकर अधिनियम 1961, की धारा 244ए (1)(ए) में निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रतिदाय के अनुदान की तिथि तक एक निर्दिष्ट दर पर, प्रतिदाय की उस राशि पर जहां कर के अतिरिक्त भुगतान के कारण प्रतिदाय उत्पन्न होता है, ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

3.2.5.1 प्र.सीआईटी-1 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2007-08 के लिए कंपनी का संवीक्षा निर्धारण कुल ₹ 52.88 करोड़ निर्धारित आय पर दिसंबर 2010 में पूर्ण किया गया जिसके विरुद्ध निर्धारिती द्वारा अपील की गई। अपील आदेश सितंबर 2016 में पारित किया गया था जिसे ₹ 32.28 करोड़ की आय को संशोधित करते हुए नवंबर 2016 में धारा 250 के तहत विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के माध्यम से लागू किया गया था। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धारा 244ए के तहत प्रतिदाय पर ब्याज की गणना मैनुअल रूप से की गई और एएसटी के माध्यम से गणना नहीं की गई थी और ₹ 7.79 करोड़ के बजाय ₹9.38 करोड़ प्रतिदाय पर ब्याज की अनुमति दी। लेखापरीक्षा एएसटी के माध्यम से बजाय मैनुअल रूप से आय और ब्याज पर कर की संगणना हेतु कारणों को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। आईटीएनएस-150 में दर्शाए गए ब्याज की परिशुद्धता की पुष्टि करने में एओ द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ₹ 1.59 करोड़ के ब्याज के आधिक्य को अनुमत किया गया। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया। (नवंबर 2017)

3.2.6 अपील आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में त्रुटियां

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दर्शाये हैं:

3.2.6.1 प्र. सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2004-05 के लिए ₹ 402.18 करोड़ की सीमा तक धारा 36(1)(vii)⁷⁰ के तहत अशोध्य ऋण के निर्धारिती के दावे के अस्वीकरण के साथ-साथ ₹ 1,827.19 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए एओ ने बैंकिंग कंपनी का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2005 में पूर्ण किया गया। निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील पर, सीआईटी (अपील) के आदेश के लागू करते हुए धारा 36(i)(vii) के तहत ₹ 134.68 करोड़ की आंशिक राहत की अनुमति देते हुए ₹ 1,496.87 करोड़ की संशोधित निर्धारित आय को फरवरी 2011 में एक आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट, निर्धारिती ने आईटीएटी में एक अपील दायर की गई, जिसे मामले को पुनः अधिनिर्णयन हेतु

⁷⁰ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii) के अनुसार, अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन किसी भी अशोध्य ऋण या उसके हिस्से की राशि कटौती के रूप में स्वीकार्य है।

एओ को वापस भेज दिया गया था (जून 2013)। धारा 14ए⁷¹ के तहत अननुमत राहत के बाद निर्धारण योग्य आय को पुनः ₹ 1,454.79 करोड़ से संशोधित किया गया (मार्च 2015)। इसके बाद, मार्च 2015 के उपरोक्त आदेश के धारा 154 के तहत इस आधार पर परिशोधित किया गया कि धारा 36(i)(viii)⁷² के तहत निर्धारिती को कटौती को आंशिक अनुपात में वापस लिया जाना था। इस स्तर पर ₹ 1,457.95 करोड़ से आय का पुनः निर्धारित किया गया। जून 2013 में आईटीएटी के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, एओ ने मामले को नए सिरे से निपटाया (मार्च 2017) और दिसंबर 2005 में ₹ 402.18 करोड़ के सम्पूर्ण अस्वीकृति को अननुमत करके और संवीक्षा निर्धारण को रद्द कर दिया। धारा 36(i) (vii) के तहत इसकी अनुमति देकर अधिनियम की धारा 250⁷³ के तहत ₹ 1,085.92 करोड़ पर आय की पुनः संगणना की गई थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 250 के तहत आदेश हेतु आय की संगणना में, एओ द्वारा ₹ 1,457.94 करोड़ प्रारंभिक बिंदु के रूप में लिया गया, जिसमें फरवरी 2011 के सीआईटी (अपीलें) के आदेश में दी गई ₹ 134.68 करोड़ की आंशिक राहत शामिल थी। इस प्रकार, ₹ 402.18 करोड़ की कटौती की अनुमति देते समय, एओ ने ₹ 134.68 करोड़ की अधिक कटौती अनुमत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 48.32 करोड़ के कम कर के उद्ग्रहण सहित ₹ 134.68 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था। (मार्च 2019)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 254 प्रावधान करती है कि अपीलीय प्राधिकरण, अपील में दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इस प्रकार के आदेशों को पारित करें जैसा वह उचित समझते हैं। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग के कार्यालय क्रियाविधि की नियमावली के अध्याय 18 के पैरा 24.1 में प्रावधान किया गया है कि निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में अपील आदेश की प्राप्ति पर, आदेश के मद्देनजर निर्धारण को संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

3.2.6.2 प्र. सीआईटी-2 कोलकता प्रभार, पश्चिम बंगाल में नि.व. 2006-07 के लिए ₹ 108.20 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए नवंबर 2008 में संवीक्षा के बाद एक बीमा कंपनी के निर्धारण को पूर्ण किया गया था। निर्धारण को अप्रैल 2012 में सीआईटी (अपील) के आदेश को लागू करने हेतु ₹ 666.21 करोड़ की

⁷¹ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14ए के अनुसार, आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय हेतु में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कुल आय का हिस्सा नहीं है।

⁷² आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii) के अनुसार, अधिनियम में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर कटौती के रूप में एक अनुसूचित या गैर-अनुसूचित भारतीय बैंक द्वारा स्वीकार्य किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान है।

⁷³ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 250, आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की सुनवाई और निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करती है।

निवल हानि पर संशोधित किया गया था और अप्रैल 2016 में धारा 251⁷⁴ और 143(3) के साथ पठित धारा 254 के तहत ₹ 672.64 करोड़ की निवल हानि पर आगे संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एओ द्वारा अप्रैल 2016 में अपील आदेश को लागू करते समय, धारा 14अ के तहत ₹ 6.43 करोड़ की राहत गलती से अनुमत की गई थी। हालांकि, आईटीएटी सीआईटी (अपील) के केवल उस आदेश से समर्थित था जिसमें ₹ 30.28 से ₹ 6.43 करोड़ से धारा 14अ के तहत इस अस्वीकृति को घटाने के लिए निर्देशित किया गया था और अप्रैल 2012 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 251 के तहत पारित किए गए आदेश को देखते हुए इसे पहले से ही लागू किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.17 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 6.43 करोड़ से हानि का अधिक निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2018) और बताया कि अधिनियम की धारा 254/251/143(3) के साथ पठित धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (जुलाई 2017)।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम, इसके प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों हेतु और अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की संगणना में निर्धारित के लिए रियायतों/छूटों/कटौतियों को अनुमत करता है। हमारे द्वारा देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों ने लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ को अनियमित रूप से बढ़ाया जो इसके हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएं आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रबंधन में कमियों को इंगित करती हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यक है। उप-श्रेणियों के ब्यौरे तालिका 3.2 दर्शाए गए हैं जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन प्रभावित हुआ।

तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन के तहत त्रुटियों की उप-श्रेणियां				(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	संख्या	टीई	राज्य	
क. मूल्यहास/व्यापार/हानियों पूंजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएं	66	1,796.86	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।	

⁷⁴ आयकर अधिनियम की धारा 251 अपील के निपटान में आयकर आयुक्त (अपील) की शक्तियों को निर्दिष्ट करती है।

उप-श्रेणी	संख्या	टीई	राज्य
ख. अनियमित छूटें/कटौतियां/रिबेट/राहत/ मैट क्रेडिट	27	477.25	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, केन्द्र शासित चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल।
ग. व्यापार व्यय का गलत भत्ता	48	875.47	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।
कुल	141	3,149.58	

3.3.2 कारोबार/पूंजीगत हानियों के मूल्यहास और समंजन और अग्रेषण की अनुमति प्रदान करने में अनियमितताएं।

हमारे द्वारा चार निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 में प्रावधान है कि, जहां कारोबार या व्यापार के लाभ और हानि शीर्ष के तहत संगणना के सकल परिणाम में निर्धारिती को हानि होती है और मूल्यहास सहित इस प्रकार की हानि को प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के तहत आय हेतु पूर्ण रूप से समंजन नहीं किया जा सकता, इसलिए अत्यधिक हानि जिसका समंजन नहीं किया गया को कारोबार और व्यवसाय के लाभ और हानियों हेतु समंजन करना होगा और आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

3.3.2.1 प्र. सीआईटी-3 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2014-15 के लिए, बीमा कंपनी का संवीक्षा निर्धारण ₹ 834.95 करोड़ की अर्जित हानि के समंजन के बाद ₹ 1940.70 करोड़ की कर योग्य आय तथा अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत अंकित लाभ ₹ 1124.80 करोड़ पर दिसंबर 2016 में पूर्ण किया गया। ₹ 1,333.84 करोड़ पर नि.व. 2014-15 की आय को समायोजित करने के बाद अग्रेषित अंतिम हानि का निर्धारण करते हुए जनवरी 2017 में धारा 154 के तहत संवीक्षा निर्धारण का परिशोधन किया गया था। हालांकि, नि.व. 2012-13 और 2013-14 के अभिलेखों की जांच से पता चला कि ₹ 1,124.80 करोड़ पर नि.व. 2014-15 के लिए पूर्वोक्त कर योग्य आय का निर्धारण करने में ₹ 834.95 करोड़ की उपलब्ध अग्रेषित हानि को समायोजित करने के बाद, अग्रेषित करने के लिए कोई हानि नहीं थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 453.37 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 1,333.84 करोड़ की अधिक हानि अग्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 115 जेएए के तहत ₹ 382.32 करोड़ के मैट क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ। मंत्रालय ने

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2018) और बताया कि अधिनियम 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (जुलाई 2017)।

3.3.2.2 सीआईटी (केंद्रीय)-1 दिल्ली प्रभार, नि.व-2012-13 के लिए नवंबर 2016 में ₹ 471.71 करोड़ के अनवशोषित मूल्यहास के समंजन को अनुमत करने के बाद ₹ 324.72 करोड़ की आय और उस पर ₹ 105.35 करोड़ के कर का निर्धारण करते हुए अधिनियम की धारा 144सी(5)⁷⁵ के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नवंबर 2016 में कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पूर्ववर्ती नि.व. अर्थात् नि.व. 2011-12 में ₹ 415.88 करोड़ के अग्रेषित अघोषित मूल्यहास के समंजन के बाद ₹ 231.96 करोड़ की आय पर धारा 144सी (5) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूर्ण किया (जुलाई 2016) गया था। अतः नि.व. 2011-12 से संबंधित कोई भी अग्रेषित हानि नि.व. 2012-13 में समंजन के लिए उपलब्ध नहीं थी। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज को शामिल करते हुए, ₹ 238.75 करोड़ के कर का कम उदग्रहण सहित ₹ 471.71 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2018) और बताया कि अक्टूबर 2017 में अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.3.2.3. प्र. सीआईटी-2 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 32.26 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2016 में कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 252.14 करोड़ के अघोषित मूल्यहास के समंजन का दावा किया और उसे अनुमति दी गई। नि.व. 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए निर्धारण आदेशों के अनुसार समंजन के रूप में अनुमत ₹ 252.14 करोड़ के दावे हेतु केवल नि.व. 2014-15 में समंजन के लिए उपलब्ध स्वीकार्य अघोषित मूल्यहास ₹ 28.98 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 223.17 करोड़ के अघोषित मूल्यहास के अधिक समंजन की अनुमति दी गई और ब्याज को शामिल करते हैं ₹ 100.89 करोड़ की कर राशि के कम उदग्रहण सहित, समान राशि से आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2019)।

⁷⁵ आयकर अधिनियम की धारा 144सी(5) के अनुसार, विवाद सामाधान पैनल, ऐसे मामले में जहां इस धारा की उप-धारा (2) के तहत निर्धारिती से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, निर्धारण अधिकारी के दिशा-निर्देश के लिए जो उसे निर्धारण पूर्ण करने में सक्षम बनाने के लिए जैसा वह उचित समझता है ऐसे निर्देश जारी करें।

3.3.2.4. प्र. सीआईटी मैंगलौर प्रभार, कर्नाटक में, नि.व. 2011-12 के लिए ₹ 1,349.89 करोड़ का निर्धारण करते हुए फरवरी 2013 में बैंकिंग कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 831.72 करोड़⁷⁶ की वास्तविक उपलब्ध हानि की जगह ₹ 1,025.45 करोड़⁷⁷ की हानि के समंजन को अनुमत किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 72.28 करोड़ के परिणामी कर प्रभाव के साथ ₹ 193.73 करोड़ की सीमा तक हानि का अधिक समंजन हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जुलाई 2018) और बताया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत परिशोधन आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मार्च 2017)।

3.3.3. अनियमित छूटों/कटौतियों/रिबेट/रियायत/मैट क्रेडिट

हमारे द्वारा दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 115 जेएए, जब सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर विशेष प्रावधानों के तहत कर से अधिक है। तब एक निर्धारिती को मैट क्रेडिट के अग्रोषण की अनुमति देती है। चूंकि, इस प्रकार का क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर के अंतर तक सीमित होगा।

3.3.3.1. पीसीआईटी-1 चैन्नई प्रभार के तहत, तमिलनाडू में, नि.व. 2011-12 के लिए ₹ 606.35 करोड़ की कुल आय पर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मार्च 2015 में कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया गया, जिसे बाद में ₹ 573.25 करोड़ की कुल आय पर अगस्त 2016 में धारा 154 के तहत संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि संशोधन आदेश में एओ ने ₹ 38.67 करोड़ का मैट क्रेडिट अनुमत किया था यद्यपि नि.व. 2011-12 में समंजन के लिए कोई भी मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.67 करोड़ का अधिक मैट क्रेडिट अनुमत किया गया इसके फलस्वरूप ₹ 38.67 करोड़ की कर मांग का कम उदग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (फरवरी 2019) और बताया कि अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है (दिसंबर 2018)।

3.3.3.2. प्र. सीआईटी, दिल्ली में, नि.व. 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत जनवरी 2017 में पूर्ण किया गया उस पर ₹ 199.30 करोड़ की आय और ₹ 79.03 करोड़ के कर का निर्धारण किया गया। निर्धारिती

⁷⁶ नि.व. 2005-06: ₹ 552.21 करोड़, नि.व. 2007-08: ₹ 279.51 करोड़

⁷⁷ नि.व. 2008-09: ₹ 341.77 करोड़ नि.व. 2009-10: ₹ 158.22 करोड़, नि.व. 2010-11: ₹ 237.75 करोड़ और नि.व. 2011-12: ₹ 287.71 करोड़

को धारा जेएए के तहत ₹ 21.38 करोड़ के कर क्रेडिट अनुमत किया गया था, जिसमें से ₹ 3.59 करोड़ नि.व. 2010-11 से संबंधित थे और ₹ 17.79 करोड़ नि.व. 2011-12 से संबंधित थे। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत क्रमशः ₹ 86.86 करोड़ और ₹ 63.57 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए निर्धारण अप्रैल 2014 और अप्रैल 2015 में पूर्ण किये गए थे। चूंकि, धारा 115 जेएए के तहत नि.व. 2013-14 में समंजन के लिए उपलब्ध नि.व. 2010-11 और 2011-12 से संबंधित कोई भी कर क्रेडिट नहीं था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 31.22 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (अक्टूबर 2018) तथा यह कहा कि चूक को अधिनियम की धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके संशोधित किया गया है (जुलाई 2017)।*

3.3.4 व्यवसाय व्यय की गलत अनुमति

हमने नीचे ऐसे पांच निदर्शी मामले दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145 की उप-धारा (1) के तहत शीर्ष 'कारोबार या व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्तियां' अथवा 'अन्य संसाधनों से आय' के अन्तर्गत प्रभार्य आय को या तो नकद के अनुसार या निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार संगणित किया जाएगा। न्यायिक रूप से यह निर्णय⁷⁸ दिया गया है कि पिछले वर्ष के समायोजनों को लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के तहत वर्तमान वर्ष में नहीं किया जा सकता।

3.3.4.1 पीसीआईटी-3 चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, नि.व. 2012-13 के लिए कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण ₹ 13,479.90 करोड़ की कुल हानि पर मार्च 2015 में पूर्ण हुआ। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभ तथा हानि लेखा में ₹ 576.81 करोड़ के निवल पूर्व अवधि क्रेडिटों/प्रभारों को डेबिट किया। चूंकि निवल पूर्व अवधि क्रेडिट/प्रभार वर्तमान निर्धारण वर्ष से संबंधित नहीं थे अतः ₹ 576.81 करोड़ के दावे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 187.14 करोड़ के परिणामी संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 576.81 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (फरवरी 2019) तथा यह कहा कि दिसम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।*

⁷⁸ सीआईटी बनाम मै. सदरन केबल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कस (289 आईटीआर 167) (केरल उच्च न्यायालय)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35एबीबी प्रावधान करता है कि दूर संचार सेवाओं के प्रचालन के कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए संचित किसी पूंजीगत व्यय और जिसके लिए वास्तव में भुगतान कोई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया है, के संबंध में प्रासंगिक प्रत्येक विगत वर्ष के लिये कटौती स्वीकृत होगी। कटौती की राशि ऐसे व्यय की राशि के उपयुक्त भाग के समान होगी।

3.3.4.2 प्रधान सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2013-14 तथा 2014-15 के लिए एक कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 2,476.63 करोड़ तथा ₹ 2,597.93 करोड़ की आय पर पूरा हुआ। निर्धारिती ने क्रमशः ₹ 5,768.59 करोड़ तथा ₹ 2,077.92 करोड़ की राशि 20 वर्षों के लिए 3जी तथा 2जी स्पेक्ट्रम फीस का एकमुश्त भुगतान किया था जिसे लेखा बहियों में परिशोधित किया गया था। हालांकि, आय कर प्रयोजनों हेतु, निर्धारिती ने दावा किया तथा नि.व. 2013-14 से नि.व. 2014-15 तक से संबंधित अवधि हेतु 3जी तथा 2जी स्पेक्ट्रम फीस पर क्रमशः ₹ 1,650.74 करोड़ तथा ₹ 259.74 करोड़ की राशि के 25 प्रतिशत की दर पर मूल्यहास की स्वीकृति दी गई। यह सही नहीं था क्योंकि धारा 35एबीबी के प्रावधान दूरसंचार सेवाओं का परिचालन करने के लिए अधिग्रहण अधिकार हेतु किए गए भुगतानों के मामले में लागू है जिसमें ऐसे व्यय का परिशोधन किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा, नि.व. 2011-12 में, उसी निर्धारिती के मामले में विभाग ने स्पेक्ट्रम फीस पर मूल्यहास अस्वीकृत किया था तथा धारा 35एबीबी के तहत परिशोधन स्वीकृत किया गया था। परिशोधन के बजाय मूल्यहास स्वीकृत करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 425.53 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 1,281.69 करोड़ की राशि की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।*

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(vii) में प्रावधान है कि कटौती को किसी अशोध्य ऋण अथवा उसके भाग की राशि के संदर्भ में स्वीकृत किया जाएगा जिसे उस प्रावधान के अधीन पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के लेखों में अवसूलीयोग्य के रूप में बड़े खाते में डाला जाता है, एक निर्धारिती जिस पर धारा 36(1)(vii) लागू होती है (अनुसूचित बैंक इत्यादि) के मामले में, ऐसे किसी ऋण अथवा उसके भाग से संबंधित कटौती की राशि को ऐसी राशि तक सीमित किया जाएगा जिससे ऐसा ऋण अथवा उसका भाग उस खण्ड के तहत अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण लेखा के लिए बनाए गए प्रावधान में क्रेडिट शेष से अधिक होता है।

3.3.4.3 प्रधान सीआईटी त्रिशूर प्रभार, केरल में, नि.व. 2013-14 के लिए एक बैंकिंग कम्पनी का निर्धारण ₹ 660.03 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए फरवरी 2016 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया तथा ₹ 7.02 करोड़ के प्रतिदाय को अधिकृत किया गया। निर्धारिती ने दावा किया तथा गैर-ग्रामीण शाखाओं से संबंधित बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के संबंध में धारा

36(1)(vii) के तहत ₹ 234.23 करोड़ की कटौती को स्वीकृत किया गया। तुलन पत्र से जुड़े तथा इसके संगठित भाग के नोट्स की अनुसूची 14 के अनुसार, प्रावधान लेखा में डेबिट किए गए वास्तविक बड़े खाते में डाली गई राशि केवल ₹ 144.49 करोड़ थी। इसमें से गैर-ग्रामीण शाखाओं से संबंधित अशोध्य ऋण केवल ₹ 140.84 करोड़ के थे तथा बड़े खाते में डाली गई ₹ 3.65 करोड़ की शेष राशि उन ग्रामीण शाखाओं से संबंधित थी जिसके लिए निर्धारिती ने धारा 36(1)(viiए) के तहत कटौती का दावा किया था। इस प्रकार, केवल ₹ 140.84 करोड़ की राशि अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के तहत वास्तव में स्वीकृत ₹ 234.23 करोड़ के प्रति कटौती की पात्र थी। कटौती की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 30.30 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 93.39 करोड़⁷⁹ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2018) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (नवम्बर 2017)।*

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 के अनुसार, पूंजीगत व्यय के अलावा कोई अन्य व्यय तथा धारा 30 से 36 में उल्लिखित प्रकृति का हो अथवा जो कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्य हेतु पूर्णरूप से या विशेष रूप से निर्धारित व्यय को 'कारोबार या व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्ति' शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना करते समय स्वीकृति दी जाएगी। सहायक व्यय की ओर से किए गए व्यय को निर्धारिती के व्यवसाय हेतु व्यय किए जाने के लिए नहीं कहा जा सकता।

3.3.4.4 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 601.08 करोड़ तथा विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 1,303.55 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए अप्रैल 2016 में अधिनियम की धारा 144सी(3) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2012-13 के लिए कम्पनी का निर्धारण पूर्ण किया। हैदराबाद तथा मुम्बई के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संस्वीकृत विलीनीकरण योजना के आधार पर, 'X' कम्पनी निर्धारिती के साथ अप्रैल 2011 में मिल गई। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सामान्य प्रावधानों के तहत करयोग्य आय की संगणना करते समय एओ ने यूएसए में 'X' कम्पनी की सहायक कम्पनी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ योजना की वजह से लाभ तथा हानि खाते में डेबिट किए गए ₹ 59 करोड़ के व्यय को गलत स्वीकृति दी थी। 'X' कम्पनी अपनी सहायक कम्पनी में नहीं अपितु निर्धारिती कम्पनी में विलीन हुई। इसके अलावा, कर लेखापरीक्षक रिपोर्ट ने पहले की 'X' कम्पनी के इस तर्क को दर्शाया था कि कथित देयता का प्रमुख रूप से इनके द्वारा व्यय किया गया था तथा राशि को कथित संशोधनों का अनुमोदन प्राप्त करने

⁷⁹ ₹ 234.23 करोड़ - ₹ 140.84 करोड़

के पश्चात इसकी यूएस सहायक कम्पनी से वसूल किया जा सकता है। इस प्रकार, ₹ 59 करोड़ का व्यय एक स्वीकार्य कटौती नहीं था क्योंकि यह निर्धारिती से संबंधित नहीं था अपितु यूएसए में गैर-आवासीय सहायक कम्पनी से संबंधित था। चूँकि धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारण पूर्ण किया गया, अतः ₹ 59 करोड़ के अमान्य व्यय की कटौती को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 19.14 करोड़ के मैट क्रेडिट के अधिक अग्रेषण सहित समान राशि की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019) तथा अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई (दिसम्बर 2018) की गई।

3.4 चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय

3.4.1 अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी विगत वर्ष हेतु किसी व्यष्टि की कुल आय में वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय चाहे वे किसी स्रोत से प्राप्त हैं, शामिल होंगी। हमने अवलोकन किया कि एओ ने कर के लिए प्रस्तावित होने वाली कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया। तालिका 3.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जो आय निर्धारण से रह गई।

तालिका 3.3: चूक के कारण निर्धारण से रह गई आय के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	सं.	कर प्रभाव	राज्य
क. विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/ कम निर्धारित की गई आय	28	100.43	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/कम निर्धारण की गई आय	5	50.80	गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओडिशा
ग. पूंजीगत प्राप्ति का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	4	19.13	केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
घ. आर्म्स लेंथ कीमत का गलत आकलन	11	15.29	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
ड. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	3	127.26	गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल
च. अस्पष्ट निवेश नकद क्रेडिट	5	46.56	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब
कुल	56	359.47	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेबी प्रावधान करती है कि यदि सामान्य प्रावधानों के तहत संगणित कुल आय पर देय आय कर मैट से कम हो तो बुक लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का उद्ग्रहण होता है। धारा 115 जेबी के तहत विवरण 1 के अनुसार, "बुक लाभ" से तात्पर्य निश्चित संवर्धनों/हटाने के अधीन संबंधित पिछले वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में दर्शाए अनुसार निवल लाभ से है। संवर्धनों में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 10 से 12 के तहत किसी आय से संबंधित व्यय की राशि सम्मिलित है। इसके अलावा नि.व. 2008-09 के बाद से, कुल आय का भाग न बनने वाले आय से संबंधित व्यय की संगणना आयकर नियमावली के नियम 8डी के अनुसार की जाएगी।

3.4.2.1 प्रधान सीआईटी-8 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारिती ने कम्पनी सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 3,046.23 करोड़ की हानि तथा धारा 115जेबी के तहत ₹ 340.02 करोड़ की बुक हानि घोषित करते हुए नि.व. 2012-13 की अपनी आय की विवरणी फाइल की। अधिनियम की धारा 144सी(13)⁸⁰ के साथ पठित धारा 92सीए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 2,098.93 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए जनवरी 2017 में पूरा हुआ। यद्यपि धारा 115जेबी के तहत बुक आय/हानि की संगणना निर्धारण के दौरान एओ द्वारा नहीं की गई थी। संवीक्षा से पता चला कि एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना करते समय नियम 8डी के अनुसार धारा 14ए के तहत ₹ 402.94 करोड़ की राशि अस्वीकृत की थी। इस अस्वीकृति को धारा 115जेबी के तहत बुक लाभ की गणना करने के लिए ₹ 340.02 करोड़ की वापिस की गई बुक हानि हेतु दिए जाने की आवश्यकता थी जिसे नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप मैट (धारा 234बी के तहत ब्याज सहित) के तहत ₹ 19.89 करोड़ के कर के परिणामी अनुद्ग्रहण के साथ ₹ 62.92 करोड़⁸¹ के बुक लाभ की संगणना नहीं हुई। आयकर विभाग ने धारा 115जेबी के तहत बुक लाभ की संगणना करने के लिए 14ए की अस्वीकृति को शामिल न करने के संदर्भ में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2018) तथा यह कहा कि चूक का सुधार किया जाएगा। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2019)।

⁸⁰ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 144सी(13) के अनुसार अधिनियम की धारा 144सी(5) के तहत विवाद समाधान पेनल द्वारा जारी निर्देशों की प्राप्ति पर, एओ द्वारा निर्देशों के अनुरूप उस माह के अन्त जिसमें ऐसे निर्देश प्राप्त किए गए हैं, से एक माह के अन्दर निर्धारिती की सुनवाई किए जाने का कोई अन्य अवसर प्रदान किए बिना निर्धारण पूर्ण किया जाएगा।

⁸¹ (-) ₹ 340.02 करोड़+ ₹ 402.94 करोड़

3.4.2.2 प्रधान सीआईटी-2 बड़ोदा प्रभार, गुजरात में, नि.व. 2012-13 तथा 2013-14 के लिए कम्पनी का निर्धारण मार्च 2015 तथा जनवरी 2016 में क्रमशः ₹ 36.12 करोड़ तथा ₹ 14.24 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने न तो धारा 115जेबी के तहत बुक लाभ की संगणना की और न ही नि.व. 2012-13 तथा नि.व. 2013-14 के लिए फॉर्म 29बी⁸² प्रस्तुत किया। इस प्रकार, एओ धारा 115 जेबी के तहत मैट के प्रावधानों का उपयोग करने में विफल रहा। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 12.42 करोड़ (₹ 7 करोड़: नि.व. 2012-13 तथा ₹ 5.42 करोड़: नि.व. 2013-14) के कर के कम उद्ग्रहण सहित क्रमशः ₹ 34.99 करोड़ तथा ₹ 27.11 करोड़ के बुक लाभ की संगणना नहीं हुई। आयकर विभाग ने नि.व. 2012-13 तथा 2013-14 दोनों के लिए नवम्बर 2017 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण न होना/कम निर्धारण होना हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

3.4.3.1 प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-1 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 1,513.83 करोड़ पर आय का निर्धारण करते हुए अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153सी⁸³ के तहत मार्च 2016 में नि.व. 2009-10 के लिए कम्पनी का निर्धारण पूरा किया। आय की संगणना की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने दावा किया था तथा इसे पूंजीगत प्राप्ति के रूप में व्यवहारित करते हुए 'गारंटी दिए गए निष्पादन में कमी के लिए मुआवजे' की वजह से ₹ 22.22 करोड़ की कटौती अनुमत की गई। यद्यपि, पिछले निर्धारण वर्ष अर्थात् नि.व. 2008-09 में, एओ ने पूंजीगत प्राप्ति के रूप में व्यवहारित किए जाने के लिए ₹ 19.28 करोड़ के 'गारंटी दिए हुए निष्पादन में कमी के लिए मुआवजे' हेतु निर्धारिती के दावे को इस आधार पर अस्वीकार किया था कि मुआवजा विंडमिल की किसी स्थाई हानि या विंडमिल के उन्नयन हेतु नहीं दिया गया था। नि.व. 2009-10 के लिए निर्धारण योग्य आय की संगणना करते समय मुआवजे को नामंजूर करने की एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.55 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 22.22 करोड़ की

⁸² आयकर नियमावली 1962 के तहत निर्धारित फॉर्म 29बी एक रिपोर्ट है जिसे कम्पनी के बुक लाभ की संगणना करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी के अन्तर्गत एक सनदी लेखाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

⁸³ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 153सी उन व्यक्ति के अलावा एक अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण की प्रक्रिया हेतु प्रावधान करती है जिसके मामले में अधिनियम की धारा 153ए के अनुसार अन्वेषण आरम्भ किया गया है।

आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की (मार्च 2018)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14ए आयकर नियमावली 1962 के नियम 8डी के अनुसार अर्जन छूट आय हेतु किए गए व्यय को अस्वीकार करने का प्रावधान करती है।

3.4.3.2 प्रधान सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने धारा 14ए के तहत ₹ 25.85 करोड़ को अस्वीकार करने के पश्चात् ₹ 44.20 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2016 में धारा 144सी(13) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2013-14 के लिए कम्पनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने धारा 14ए के अनुसार ₹ 35.97 करोड़ की अस्वीकार्य कटौती राशि दर्शाई। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार धारा 14ए के तहत अस्वीकृति की मात्रा अपनाने के लिए एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.28 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 10.12 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2018)। सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

3.4.4 पूंजीगत लाभ की अनुचित संगणना/वर्गीकरण

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 (तीसरा परंतुक) में यह प्रावधान है कि यदि दीर्घावधि पूंजीगत लाभ सरकार द्वारा जारी इंडेक्सड बांड के अलावा दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति वाले बांड या डिबेंचर से उत्पन्न होता है तो सूचीकरण का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

3.4.4.1 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने दिसम्बर 2016 में ₹ 4,672.95 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए नि.व. 2014-15 के लिए कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ ने ₹ 4,672.95 करोड़ की आय का निर्धारण करने में निर्धारिती द्वारा किए दावे के रूप में ₹ 71.87 करोड़ के पूंजीगत लाभ से हानि स्वीकृत की थी। ₹ 71.87 करोड़ के पूंजीगत लाभ से कथित हानि में सरकार द्वारा जारी न किए गए बांड तथा डिबेंचरों के हस्तांतरण से ₹ 66.89 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत हानि सम्मिलित थी जिसके लिए इंडेक्सेशन का लाभ उक्त प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय नहीं था। इंडेक्सेशन का लाभ अस्वीकृत करने की एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 65.87 करोड़ तक पूंजीगत हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसे ₹ 14.93 करोड़ के कर के संभावित कम उद्ग्रहण सहित अग्रेषित किए जाने के लिए स्वीकृत किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

3.4.5 आर्म्स लेंथ कीमत का गलत आकलन

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92सी के तहत एक अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में आर्म्स लेंथ कीमत⁸⁴ (एएलपी) की संगणना ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) से संबंधित होगा, यदि अधिनियम की धारा 92बी के तहत परिभाषित रूप में अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य ₹ 15 करोड़ से अधिक हो। निर्धारिती की सुनवाई तथा किसी निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अपेक्षित अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् तथा सभी सुसंगत सामग्रियों जिसे उसने एकत्र किया है, का ध्यान रखने के पश्चात् टीपीओ धारा 92सी(3) के प्रावधानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में एएलपी का निर्धारण लिखित में आदेश द्वारा करेगा तथा अपने आदेश की एक प्रति एओ को तथा निर्धारिती को भेजेगा।

3.4.5.1 सीआईटी (टीपी)-4 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, टीपीओ ने अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के लिए ₹ 8.24 करोड़ के समायोजन का निर्धारण करके सितम्बर 2016 में अधिनियम की धारा 92 सीए (3) के तहत नि.व. 2013-14 के लिए एक कम्पनी पर ट्रांसफर प्राइसिंग आर्डर पारित किया। 'इंजीनियरिंग तथा सहायक सेवाओं के प्रावधान' के आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) का निर्धारण ₹ 64.22 करोड़ पर किया गया जिस पर सहयोगी उद्यम (एई) से वास्तविक प्राप्ति ₹ 48.08 करोड़ थी। समायोजन ₹ 64.22 करोड़ के एएलपी तथा ₹ 48.08 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति की राशि के बीच की भिन्नता होंगी जिसकी गणना ₹ 16.14 करोड़ की गई। यद्यपि, यह देखा गया कि ट्रांसफर प्राइसिंग आर्डर में निकाली गई समायोजन राशि केवल ₹ 8.24 करोड़ थी जिसके फलस्वरूप ₹ 2.56 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 7.90 करोड़ का कम समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (सितम्बर 2018) तथा यह कहा कि मार्च 2017 में अधिनियम की धारा 92सीए(5)⁸⁵ के साथ पठित धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।*

⁸⁴ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92एफ (ii) के अनुसार, आर्म्स लेंथ कीमत से तात्पर्य उस कीमत से है जो अनियंत्रित शर्तों में सहयोगी उद्यमों के अलावा अन्य व्यक्तियों के बीच संव्यवहार में लागू होती है अथवा लागू किए जाने हेतु प्रस्तावित होती है।

⁸⁵ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92सीए(5) के अनुसार, टीपीओ रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी चूक को संशोधित करने के उद्देश्य से धारा 92सीए(3) के तहत अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकता है तथा तदनुसार जहां तक धारा 154 के प्रावधान लागू हो।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92सी(1) में प्रावधान है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में आर्म्स लेंथ कीमत (एएलपी) को संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार की श्रेणी या सहयोगी व्यक्तियों की श्रेणी या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों या ऐसे अन्य संबंधित कारकों जैसाभी बोर्ड वर्णित करें, से संबंध रखने वाली सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होने के नाते किसी भी प्रक्रिया द्वारा निश्चित किया जाएगा। निर्दिष्ट प्रक्रिया बोर्ड द्वारा वर्णित अनुसार (क) तुलनीय अनियंत्रित कीमत प्रक्रिया, (ख) पुनः बिक्री कीमत प्रक्रिया, (ग) लागत सह प्रक्रिया, (घ) लाभ बंटवारा प्रक्रिया, (ङ) संव्यवहारात्मक निवल मार्जिन प्रक्रिया तथा (च) ऐसी अन्य प्रक्रिया में से कोई भी हो सकती है।

3.4.5.2 पीसीआईटी-1 प्रभार, दिल्ली में, टीपीओ ने विवाद समाधान पेनल (डीआरपी) के निर्देशन के अनुसार ₹ 86.37 करोड़ के एक समायोजन का निर्धारण करते हुए जनवरी 2016 में अधिनियम की धारा 92सीए(3) के तहत नि.व. 2011-12 के लिए कम्पनी पर एक आदेश पारित किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि विज्ञापन विपणन तथा उन्नयन (एएमपी) व्ययों के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग समायोजन की संगणना करते समय, सामान्य एएमपी व्ययों को ₹ 40.36 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 41.75 करोड़ लिया गया। एएमपी व्ययों पर ट्रांसफर प्राइसिंग समायोजन को ₹ 90.59 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 84.20 करोड़ संगणित किया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 6.39 करोड़ तक एएमपी व्ययों की वजह से कम ट्रांसफर प्राइसिंग समायोजन हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके अगस्त 2016 में चूक का सुधार किया।

3.4.5.3 प्रधान सीआईटी (आईटी एंड टीपी) हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, टीपीओ ने आईटी सक्षम सेवाओं पर ₹ 239.31 करोड़ तथा 'प्राप्यों पर ब्याज' पर ₹ 99.92 लाख के समायोजन का प्रस्ताव करते हुए अक्टूबर 2017 में अधिनियम की धारा 92सीए (3) के तहत नि.व. 2014-15 के लिए कम्पनी पर एक आदेश पारित किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परिचालन राजस्व में अन्य आय के समावेश की वजह से परिचालन राजस्व ₹ 1,511.05 करोड़ की बजाय ₹ 1,516.72 करोड़ अपनाया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.93 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 5.67 करोड़ तक समायोजन में परिणामी कमी के साथ ₹ 244.98 करोड़ के सही समायोजन की बजाय ₹ 239.31 करोड़ के समायोजन का निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा यह कहा कि जनवरी 2018 में अधिनियम की धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

3.4.6 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के क्रियान्वयन में चूक

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 201 के अनुसार जहां कम्पनी के प्रमुख अधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है, वह कटौती नहीं करता अथवा भुगतान नहीं करता अथवा ऐसी कटौती के पश्चात इस अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत अपेक्षित रूप में सम्पूर्ण कर या कर के किसी भाग का भुगतान करने में विफल होता है तब ऐसे व्यक्ति को ऐसे कर के संदर्भ में एक चूककर्त्ता निर्धारिती माना जाएगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा 201(1ए) प्रावधान करती है कि ऐसा चूककर्त्ता निर्धारिती अधिनियम के तहत निर्धारित निर्दिष्ट समयावधि के लिए निर्दिष्ट दरों पर सामान्य ब्याज का भुगतान करने का पात्र होगा।

3.4.6.1 सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान)- 1(1), बैंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में, नि.व. 2009-10 से 2012-13 के लिए निर्धारिती कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण धारा 201(1ए) के तहत ₹ 304.43 करोड़ का ब्याज निर्धारित करते हुए दिसम्बर 2015 में अधिनियम की धारा 201(1ए) के साथ पठित धारा 201(1) के तहत पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती के संदर्भ में टीडीएस विंग द्वारा अधिनियम की धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती कम्पनी ने गैर आवासीय को किए गए भुगतान के लिए ₹ 375.37 करोड़⁸⁶ की राशि की अधिनियम की धारा 195 के तहत टीडीएस की कटौती की थी परन्तु उसे सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किया। आगे यह पता चला कि एओ ने ₹ 427.05 करोड़ (30 जून 2010 तक 1 प्रतिशत तथा 01.07.2010 से प्रभावी 1.5 प्रतिशत की दर पर) की उद्ग्राह्य राशि के बजाय ₹ 304.43 करोड़ (नि.व. 2009-10 से 2012-13 तक के बीच की अवधि हेतु एक प्रतिशत की दर पर) धारा 201(1ए) के तहत ब्याज उद्ग्रहित किया था जिसके फलस्वरूप ₹ 122.62 करोड़ की सीमा तक धारा 201(1ए) के तहत ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) तथा यह कहा कि अधिनियम की धारा 154 के तहत नवम्बर 2017 में एक आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

⁸⁶ ₹ 121.78 करोड़ (2009-10), ₹ 191.29 करोड़ (2010-11), ₹ 37.25 करोड़ (2011-12), ₹ 25.05 करोड़ (2012-13)

3.4.7 अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 68 प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती, निर्धारिती की बहियों में क्रेडिट की गई किसी राशि की प्रकृति तथा स्रोत के विषय में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता तो निर्धारिती की आय के अनुसार क्रेडिट की गई ऐसी राशि आयकर हेतु प्रभारित की जाए।

3.4.7.1 प्रधान सीआईटी-4 हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, नि.व. 2014-15 के लिए कम्पनी का निर्धारण सकल प्राप्तियों के 1 प्रतिशत आय का आकलन करने तथा अस्वीकृतियों जिसके लिए निर्धारिती द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, की निश्चित राशियों को जोड़ने के पश्चात ₹ 92.84 करोड़ की कुल आय निर्धारित करके मार्च 2017 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144 के तहत पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने कुछ अस्वीकृतियां प्रस्तावित की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 'अन्य ऋण तथा अग्रिमों' से संबंधित ₹ 49.16 करोड़ की राशि अस्वीकृत करना शामिल है। निर्धारिती प्रस्तावित संवर्धनों से संबंधित किसी राशि के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण/कोई साक्ष्य देने में विफल हुआ। तथापि धारा 68 के तहत 'अस्पष्ट क्रेडिट' के रूप में उन्हें व्यवहारित करते हुए अन्य राशि के संदर्भ में संवर्धन करते समय निर्धारण अधिकारी से 'ऋण तथा अग्रिमों' से संबंधित ₹ 49.16 करोड़ की राशि को अस्वीकृत करने की चूक हुई। इसके फलस्वरूप धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 23.61 करोड़ की परिणामी कम मांग सहित ₹ 49.16 करोड़ की सीमा तक आय की कम संगणना हुई है। आयकर विभाग ने अपने उत्तर में यह कहा (जनवरी 2018 तथा अप्रैल 2018) कि धारा 144 के तहत निर्धारण पूरा किया गया तथा इस मामले में एकपक्षीय निर्धारण के संदर्भ में एओ का अपना विवेकाधिकार है। आयकर विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने रिटर्न की गई आय हेतु प्रस्तावित चार संवर्धनों में से तीन मदों को जोड़ने हेतु अपने विवेक का उपयोग किया तथा चौथी मद को छोड़ दिया अर्थात् ऋणों और अग्रिमों को अपरिष्कृत रहने दिया, तथापि, निर्धारिती ने किसी प्रस्तावित संवर्धनों पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसके अलावा, एओ ने उस मद जिसके लिए कोई संवर्धन नहीं किया गया था, के लिए निर्धारण आदेश में अपना संस्करण दर्ज/चर्चित नहीं किया है।

3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि एओज ने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 235.83 करोड़ के कर तथा ब्याज के अधिक प्रभार वाले 25 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया। हमने ऐसे पांच निदर्शी मामलों नीचे दिए हैं:

3.5.1.1 प्रधान सीआईटी-एलटीयू मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2013-14 के लिए एक बैंकिंग कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण दिसम्बर 2016 में ₹ 3,567.95 करोड़ की निर्धारित आय के साथ पूर्ण किया गया। आईटीएनएस-150 फॉर्म दिनांक 29.12.2016 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि विभाग ने ₹ 1,070.38 करोड़ की कर राशि पर 5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 10 प्रतिशत की दर पर अधिप्रभार उद्ग्रहित किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 55.12 करोड़ तक अधिप्रभार का अधिक उद्ग्रहण हुआ। आगे यह देखा गया कि अधिप्रभार की गलत दर के कारण, धारा 234बी के तहत ₹ 56.37 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया गया जो अन्यथा उद्ग्रह्य नहीं था क्योंकि कुल पूर्व प्रदत्त कर वास्तविक देय मांग से 90 प्रतिशत अधिक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 111.49 करोड़⁸⁷ तक कर का अधिक निर्धारण हुआ था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (अगस्त 2018) तथा यह कहा कि अप्रैल 2018 में सीआईटी (अपील) के आदेश को प्रभावित करने का आदेश पारित करते समय सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।*

3.5.1.2 प्रधान सीआईटी-वल्साड़ प्रभार, गुजरात में, नि.व. 2012-13 के लिए कम्पनी का निर्धारण मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 144 के तहत ₹ 68.17 करोड़ की अग्रेषित हानि का समायोजन करने के पश्चात ₹ 4.54 करोड़ के अन्य स्रोतों से आय सहित ₹ 58.45 करोड़ की कुल आय निर्धारित करके पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि एओ ने विभिन्न आधारों पर ₹ 96.39 करोड़ के संवर्धन किए हैं। तथापि, कर संगणना करते समय, एओ ने ₹ 32.76 करोड़ की बजाय ₹ 58.45 करोड़ निर्धारित आय की गणना की थी जिसके फलस्वरूप ₹ 7.94 करोड़ के कर के परिणामी अधिक प्रभार सहित ₹ 25.69 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा जुलाई 2017 में अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

⁸⁷ ₹ 55.12 करोड़ + ₹ 56.37 करोड़

3.5.1.3 प्रधान सीआईटी-1 भोपाल प्रभार, मध्य प्रदेश में, नि.व. 2014-15 हेतु कम्पनी का निर्धारण दिसम्बर 2016 में ₹ 2.00 करोड़ की हानि पर संवीक्षा के पश्चात् पूर्ण किया गया। आयकर संगणना फॉर्म (आईटीएनएस-150) की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि अग्रिम कर के भुगतान में चूक हेतु ब्याज को ₹ 33.83 करोड़ पर एएसटी प्रणाली में एओ द्वारा इस तथ्य के बावजूद मानवीय रूप से प्रविष्ट किया गया था कि निर्धारिती का निर्धारण हानि पर हुआ था तथा इसीलिए कोई कर तथा ब्याज उद्ग्रहित नहीं होना था। जैसाकि, इसने प्रणाली के उल्लंघन की सूचना दी थी जिसके फलस्वरूप ₹ 33.83 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। इस प्रकार से निर्धारिती को देय प्रतिदाय रोक कर रखा गया। *आयकर विभाग ने अपने उत्तर में यह कहा (जनवरी 2018) कि लेखन चूक तथा अधिक कार्य दबाव की वजह से ब्याज संगणना में चूक हुई थी तथा अनिवार्य सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगे उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।*

3.5.1.4 प्रधान सीआईटी-1 भोपाल प्रभार, मध्य प्रदेश में, नि.व. 2014-15 हेतु कम्पनी का निर्धारण सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 11.44 करोड़ तथा अधिनियम की धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 47.63 करोड़ पर दिसम्बर 2016 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ द्वारा अग्रिम कर के भुगतान में चूक हेतु ब्याज को एएसटी प्रणाली में ₹ 22.11 करोड़ पर इस तथ्य के बावजूद मानवीय रूप से प्रविष्ट किया गया था कि अग्रिम कर के भुगतान के संदर्भ में निर्धारिती के ओर से कोई चूक नहीं थी। जैसाकि इसने प्रणाली के उल्लंघन की सूचना दी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.11 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ तथा इस प्रकार निर्धारिती को देय प्रतिदाय को रोककर रखा गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (जनवरी 2019)। *अधिनियम की धारा 154 के तहत नवम्बर 2018 में ब्याज की संगणना में चूक का सुधार किया गया है।*

3.5.1.5 सीआईटी (केन्द्रीय)-। दिल्ली प्रभार में, नि.व. 2014-15 हेतु कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 1.44 करोड़ की हानि तथा अधिनियम की धारा 115 जेबी के तहत ₹ 3.96 करोड़ के न्यूनतम वैकल्पक कर पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि धारा 234बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक हेतु ब्याज को एएसटी प्रणाली द्वारा गलती से ₹ 1.70 करोड़ पर इस तथ्य के बावजूद संगणित किया गया कि निर्धारिती को स्वीकृत कुल टीडीएस क्रेडिट (₹ 72.08 लाख), अधिनियम की धारा 90 के तहत स्वीकृत राहत (₹ 1.97 करोड़) तथा प्रदत्त अग्रिम कर (₹ 3.00 करोड़) ₹ 3.96 करोड़ के निर्धारित कर से अधिक था। एओ ने एएसटी प्रणाली में ब्याज राशि हेतु उपलब्ध 'मोडीफाई' विशेषता का उपयोग

2019 की प्रतिवेदन संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर)

करके धारा 234बी के तहत ₹ 1.70 करोड़ की ब्याज राशि को मानवीय रूप से प्रविष्ट किया था। इसके परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 1.70 करोड़ के ब्याज का अधिक प्रभार हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है (जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया है (नवम्बर 2017)।